



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना कोतवाली शहर

दिनांक:-17.08.2026

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 637/2026 धारा 310(2)/317(2) बीएनएस में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को लूट के 02 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.08.2026 को वादी अशोक पुत्र डूंगर सिंह निवासी जहानाबाद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसकी मोटरसाइकिल स्पलेंडर प्लस रजि0 न0 UP20BY3398 व दो मोबाइल फोन लूट लिये गये ।



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 637/2026 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । जिसमें पूर्व में अभियुक्त देव पुत्र सतीश निवासी ग्राम रेहडवा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को पुलिस मुठभेड में लूट की मोटरसाइकिल स्पलेंडर प्लस रजि0 न0 UP20BY3398 सहित गिरफ्तार किया गया तथा दौराने विवेचना अभियोग उपरोक्त धारा 309(4) बीएनएस का विलोप करते हुए धारा 310(2)/317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 17.08.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त मनीष पुत्र काके निवासी ग्राम गावडी बुजुर्ग थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को लूट के दो मोबाइल फोन (एक ओप्पो कम्पनी का जिसका रंग स्काई ब्लू एव दुसरा मोबाइल फोन वीवो कम्पनी जिसका रंग काला) सहित गिरफ्तार किया गया । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनीष पुत्र काके निवासी ग्राम गावडी बुजुर्ग थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

1. एक मोबाइल फोन (ओप्पो कम्पनी)
2. एक मोबाइल फोन (वीवो कम्पनी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.थानाध्यक्ष अवनीत मान थाना को0शहर जनपद बिजनौर ।
- 2.उ0नि0 रोहिताश कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 710 नेपाल सिंह थाना को0शहर जनपद बिजनौर ।
4. का0 1797 संदीप कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर ।
5. का0 1860 सुनील कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना बढ़ापुर

दिनांक:-16.08.2026

**थाना बढ़ापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 121/2026 धारा
109(1)/118(1)/324(4)/352/351(3)/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को
गिरफ्तार किया गया।**

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.07.2026 को वादी मौ0 रफी पुत्र मौ0 इमरान निवासी ग्राम शाहलीपुर कोटरा, थाना बढ़ापुर, जनपद बिजनौर द्वारा थाना बढ़ापुर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण मौ0 रिजवान पुत्र सुक्खे, मन्नान व फैजान पुत्रगण रिजवान तथा मौ0 शाकिर पुत्र मौ0 दाऊद निवासीगण ग्राम शाहलीपुर कोटरा द्वारा धारदार हथियार, चापड़, लाठी-डंडों एवं सरियों से वादी के पिता इमरान पर जान से मारने की नीयत से हमला कर मारपीट कर घायल कर दिया तथा घर का सामान एवं एलसीडी तोड़ दी और जान से मारने की धमकी दी।



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बढ़ापुर पर मु0अ0सं0 121/2026 धारा 109(1)/118(1)/324(4)/352/351(3)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 16.08.2026 को थाना बढ़ापुर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मौ0 रिजवान पुत्र सुक्खे निवासी ग्राम शाहलीपुर कोटरा, थाना बढ़ापुर, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मौ0 रिजवान पुत्र सुक्खे निवासी ग्राम शाहलीपुर कोटरा, थाना बढ़ापुर, जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री ललित मोहन शर्मा थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर।
2. का0 2886 सारंग थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर।